(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक **PBR**/अपील/खरगोन/आ.अ./2018/0958 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-1-2018 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर अपील पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/403.

मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड
खोडी ग्रामए बड़वाह जिला खरगोन .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर
2. उपायुक्त आबकारी
   संभागीय उड़नदस्ता, जिला इंदौर
3. जिला आबकारी अधिकारी
   जिला खरगोन .....प्रत्यर्थीगण

श्री आलोक शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विवेक जैन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/18 को पारित)

अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/403 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5 (1) 13-14/518 दिनांक 22-2-2014 द्वारा वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए अपीलार्थी कम्पनी को जिला खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सीधी, सतना एवं सिवनी प्रदाय क्षेत्र में बोतलबंद देशी मदिरा का थोक प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टेण्डर नोटिस दिनांक 4-3-2015 की शर्त क्रमांक 6 (XXXii)

के अनुक्रम में पत्र दिनांक 28-4-2015 एवं 21-5-2015 से अपीलार्थी कम्पनी को उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में उनके स्वयं की लागत व व्यय पर विभागीय कम्प्यूटरीकरण अंतर्गत वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने के निर्देश दिये गये । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विभागीय निर्देशों एवं टेण्डर की शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर आंशिक रूप से समाधानकारक पाया गया, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा शर्त क्रमांक 6 (XXXii) के संबंध आपत्ति होने के संबंध में तत्समय कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) व टेण्डर व लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12-1-2018 को आदेश पारित कर वर्ष 2015-16 में अपीलार्थी कम्पनी को आवंटित प्रदाय क्षेत्र के 18 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराये जाने पर प्रति स्टोरेज रूपये 10,000/- के मान से कुल 18 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर रूपये 1,80,000/- शास्ति अधिरोपित की गई । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर यह अभिवचन किए गए हैं कि देशी मदिरा विनिर्माण इकाई स्थाई तौर पर उनकी होने से उस पर वीसेट कनेक्टिविटी पर किए गए व्यय का भुगतान उनके द्वारा किया गया है, परन्तु स्टोरेज मद्यभाण्डागार स्थाई तौर पर उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं, वह स्थाई तौर पर शासकीय संपत्ति का ही भाग । उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी शासकीय व्यय से ही करवाया जाना उचित है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को आंशिक रूप से समाधानकारक माना है, किन्तु वीसेट कनेक्टिविटी कराए जाने के संबंध में वर्ष 2015-16 की समयावधि हेतु बोतलबन्द देशी मदिरा का थोक प्रदान करने के प्रयोजन से प्रकाशित निविदा की शर्त क्रमांक 6(XXXii) से अगर कोई आपत्ति थी तो अपीलार्थी कम्पनी को इस संबंध में अभ्यावेदन तत्काल प्रस्तुत किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी माना है कि हालांकि अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज

भाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराए जाने से शासन को किसी प्रकार के राजस्व की हानि नहीं हुई है, किन्तु उनके द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) तथा टेण्डर और लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित माना है और उस आधार पर वर्ष 2015-16 में आवंटित खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सीधी, सतना एवं सिवनी प्रदाय क्षेत्र के 18 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराये जाने के कारण उक्त अनियमितता पर प्रति स्टोरेज मद्यभाण्डागार रूपये 10,000/- प्रत्येक अर्थात 20 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर रूपये 1,80,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है ।

(3) उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने भाण्डागारों को म.प्र. शासन की मंशा मद्यभाण्डागारों को कम्प्यूटरीकृत करने की रही है, परन्तु वीसेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होने में अत्यधिक समय लग रहा है, इस कारण अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने सभी मद्यभाण्डागारों को डोंगल कनेक्टिविटी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराया हुआ है और वर्तमान में अपीलार्थी कम्पनी के सभी मद्यभाण्डागार पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत हैं और आधुनिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हैं । इस कारण भी वर्तमान आलोच्य आदेश दिनांक 12-1-2018 तथा अधिरोपित शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) आबकारी आयुक्त के आदेश से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी में वीसेट कनेक्टिविटी न होने से किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का व्यापार ही प्रभावित हुआ है, न ही इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि वीसेट कनेक्टिविटी न होने से किसी प्रकार के शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हुई हो । यहां यह उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन की मंशा केवल वीसेट कनेक्टिविटी की नहीं कर सभी मद्यभाण्डागारों को कम्प्यूटरीकृत कर आधुनिक तकनीक से जोड़ने की रही है और इस बात का स्पष्ट इस बात से भी है कि वर्ष 2018 के लिए जारी निविदा सूचना जो कि म.प्र.राज्य राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई है, से वीसेट कनेक्टिविटी वाला तथ्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा स्पष्ट किया है कि देशी मदिरा के भाण्डागारों पर वीसेट या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना संविदाकार का दायित्व है । अत: स्पष्ट है कि म.प्र. शासन की मंशा मद्यभाण्डागारों में किसी भी माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराने की रही है । यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलार्थी कम्पनीके सभी मद्यभाण्डागार डोंगल कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में और शासन के कार्यालय से कनेक्टेड हैं और इस कारण शासन का कोई भी व्यापार नकरात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है ।

(5) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि उपरोक्त नियम के तहत वीसेट कनेक्टिविटी की बात न लिखी जाकर अपेक्षित लीज्ड लाईन वायरलैस कनेक्टिविटी से मद्यभाण्डागारों को जोड़ने की बात लिखी गई है और अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने सभी मद्यभाण्डागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर डोंगल कनेक्टिविटी से भी जोड़ा गया है ।

(6) शासन की ओर से इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा टेण्डर की किस शर्त का उल्लंघन किया गया है और उक्त शर्त में किन तथ्यों को दर्शाया गया है । टेण्डर की कोई भी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया गया है । विषम परिस्थितियों में भी उसके द्वारा प्रदाय को नियमित रखा गया है और कोई भी ऐसा कार्य जानबूझकर नहीं किया है, जिससे आबकारी अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना होती हो ।

(7) निविदा प्रदायक व्यवस्था आसवक एवं शासन के बीच संविदा है, जिसके पालन के लिए दोनों पक्ष बंधनकारी है । संविदा अधिनियम के तहत संविदा में किसी भी पक्ष को वास्विक क्षति की पूर्ति उस सीमा तक की जा सकती है, जिस सीमा तक क्षति हुई हो, जबकि वर्तमान प्रकरण में किसी भी प्रकार की क्षति होने का कोई उल्लेख नहीं है । केवल संभावना के आधार पर शास्ति अधिरोपित किए जाने को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांतों में गलत माना है ।

(8) यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शास्ति केवल इसलिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा किया जाना नियमानुकूल है । किसी कानूनी उत्तरदायित्व के निर्वाह में असफल रहने की देशा में न्यूनतम प्रतीकात्मक शास्ति आरोपित की जाये अथवा नहीं, यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक का मामला है और ऐसा विवेक का उपयोग न्यायिक रूप से संगत परिस्थितियों में किए गए प्रयासों, सुविधा संतुलन और व्यवहारिकता आदि पर विचार किये जाने के उपरांत किया जाना चाहिए, भले ही न्यूनतम शास्ति निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित न करना औचित्यपूर्ण होगा, जबकि उल्लंघन तकनीकी अथवा तुच्छ शुल्क का है । यहां यह भी ध्यान में रखा जाना उचित होगा कि शर्त के उल्लंघन पर किसी प्रकार का कोई नुकसान शासन को या किस अन्य पक्ष को नहीं हुआ हो ।

(9) यदि शासन को कोई राजस्व क्षति नहीं हुई है तो किसी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं की जाना चाहिए । वर्तमान प्रकरण में भी इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, जो

नहीं रखा गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट, 253, 2012(6) एस.सी.सी. 248, , ए.आई.आर. 1970 सु.को. 1098, 1970 सु.को. 1955, 2010(3) एम.पी.एल.जे. 29, 2002(4) एम.पी.एच.टी. पैरा 14 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थीगण की ओर से शासकीय विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि देशी मदिरा भाण्डागारों से ऑनलाईन परमिट परमीशन जनरेशन हेतु वीसेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होने से अपीलार्थी कम्पनी को उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने हेतु बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराने के कारण देशी मदिरा के ऑनलाईन परमिट जनरेशन का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विभागीय निर्देशों एवं टेण्डर की शर्तों का पालन नहीं जाना म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) व टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन होकर म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रसतुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015-16 में आवंटित खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सीधी, सतना एवं सिवनी प्रदाय क्षेत्र में बोतलबंद देशी मदिरा का थोक प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया था । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में बोतलबंद देशी मदिरा के थोक विक्रय के प्रयोजन से प्रकाशित टेण्डर नोटिस दिनांक 4-3-2015 की शर्त क्रमांक 6 (XXXii) के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 28-4-2015 एवं 21-5-2015 से अपीलार्थी कम्पनी को उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में उनके स्वयं की लागत व व्यय पर विभागीय कम्प्यूटरीकरण अंतर्गत वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार स्थाई तौर पर उन्हें प्राप्त नहीं होने के कारण शासकीय व्यय पर वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने का अनुरोध किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर आंशिक रूप से समाधानकारक माना गया, किन्तु अपीलार्थी

कम्पनी द्वारा निविदा की शर्त क्रमांक 6 (XXXii) पर आपत्ति होने के संबंध में तत्समय कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) व टेण्डर व लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को आवंटित प्रदाय क्षेत्र के 18 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराये जाने पर प्रति स्टोरेज रूपये 10,000/- के मान से कुल 18 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर रूपये 1,80,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, क्योंकि भले ही शासन को राजस्व की हानि न हुई हो, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 9(5) व टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट है । दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-1-2018 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर